प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन इलाहाबाद में महाकुम्भ मेला-2013 पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को शामिल करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन आयोजन प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में महाकुम्भ मेला के सम्पूर्ण परीक्षण पर केन्द्रित है। प्रतिवेदन में मेला का नियोजन, वित्तीय प्रबन्धन एवं आयोजन किस प्रकार किया गया, इस पर चर्चा की गयी है। अन्य पहलुओं के साथ-साथ, यह प्रतिवेदन महाकुम्भ मेला के नियोजन एवं आयोजन में अन्य विशिष्ट पक्षों जैसे संरक्षा एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, गुणवत्ता नियंत्रण, श्रम कल्याण एवं नि:शक्त व्यक्तियों को प्रदान की गयी सेवाओं को उजागर करता है। महाकुम्भ मेला के आयोजन के दौरान, 13 विभागों/संस्थाओं द्वारा कराये गये कार्यों एवं प्रदत्त सेवाओं से सम्बन्धित व्ययों का परीक्षण किया गया। समस्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्बन्धित लेखापरीक्षित इकाईयों के साथ साझा किया गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षण किया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न स्तरों पर सहयोग प्रदान करने हेतु लेखापरीक्षा, नगर विकास विभाग, आयुक्त (इलाहाबाद मण्डल), मेलाधिकारी, विभिन्न कार्यदायी विभागों/ संस्थाओं एवं उनके अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता है।